UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर (नैनीताल)
Office of The Executive Engineer,CD.PW.D Ramnagar (Nainital)
E-Mail:- *eecdrmr@rediffmail.com*

पत्रांक 499 / 23 सी0

दिनांक 21 / 03 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग
रामनगर।

विषयः— जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र कालाढुंगी के अन्तर्गत कोटाबाग क्षेत्र (गजारी) पाण्डेगॉव में गोलज्यू मन्दिर तक 0. 500 किमी0 सी0 सी0 मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 0.360 हे0 वनपंचायत भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— आपका पत्रांक 466 / 12–1 दिनांक 27.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि आपके कार्यालय द्वारा उक्त मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण पत्रावली में लगायी गयी निम्न बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।

क्र0 सं0	आपत्तियाँ	निराकरण
1	2	3
1	प्रस्ताव में विषय सूची संलग्न किया जाना आपेक्षित है।	प्रस्ताव में विषय सूची संलग्न कर दी है।
2	प्रस्ताव में विषय संलग्न प्रपत्रों में प्रपत्र संख्या एवं पृष्ठ संख्या अंकित नहीं की गयी है, प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या विषय सूची एवं SOP की सारणी–4 के अनुसार अंकित करें।	प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या विषय सूची एवं SOP की सारणी–4 के अनुसार अंकित कर दी गयी है।
3	प्रस्ताव में संलग्न संख्या प्रपत्र–1 में भू–वैज्ञानिक आख्या की पृष्ठ संख्या एवं प्रभावित वृक्षों की संख्या अंकित नहीं की गई है। उपरोक्तानुसार संख्या प्रपत्र में अंकित करें।	प्रस्ताव में संलग्न भू–वैज्ञानिक आख्या की पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गई है। परियोजना में कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।
4	प्रस्ताव में संलग्न भाग 1 की बिन्दु संख्या 4 में आपके द्वारा आरक्षित वनभूमि अंकित किया गया है। जबकि परियोजना वनपंचायत भूमि पर प्रस्तावित है। सही सूचना अंकित करें। साथ ही प्रपत्र में दिनांक भी अंकित करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–2 (भाग 1) के बिन्दु संख्या 1 के (iv) में वनपंचायत भूमि अंकित कर दी गई है व साथ ही प्रपत्र में दिनांक भी अंकित दी गई है।
5	प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र–2.1 (भाग 2) में सूचना आपके द्वारा पूर्व से ही भरा हुआ प्रस्तुत किया गया है, जबकि उक्त प्रपत्र खाली रखा जाना अपेक्षित है।	प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र–2.1 (भाग 2) को खाली रखा गया है।
6	टोपोशीट मानचित्र पर प्रस्तावित परियोजना को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाय तथा परियोजना मानचित्र उच्च गुणवता वाले पेपर पर ही प्रिंट कर संलग्न किये जाय।	प्रस्ताव में टोपोशीट मानचित्र संलग्न है।
7	प्रस्ताव में संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट (प्रमाण पत्र) के अनुसार संयुक्त निरीक्षण दिनांक 16.08. 2018 को संलग्न किया गया है। जबकि प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र 2981 / 12–1 दिनांक 16.05. 2024 एवं 3108 / 12–1 दिनांक 29.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में लम्बी अवधि व्यतीत होने एवं क्षेत्र विशेष की वास्तुस्थित में परिवर्तन होने के कारण पुनः संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उपरोक्तानुसार संशोधित संयुक्त स्थलीय निरीक्षण रिर्पोट प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट (प्रमाण पत्र) के अनुसार संयुक्त निरीक्षण दिनांक 18.06.2024 को सम्पन्न कर रिर्पोट प्रस्ताव में संलग्न कर दी गई है।

8	प्रस्ताव में संलग्न सिविल एवं सोयम, वनपंचायत एवं नाप भूमि के लैण्ड शैड्यूल में आपके द्वारा सिविल एवं सोयम भूमि रिक्त दर्ज की गयी है। जबकि प्रस्ताव में संलग्न प्रतिवेदन में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग के समरेखन में 3600 मीटर एवं 9 चौड़ाई में सिविल एवं सोयम भूमि प्रभावित हो रहे हैं। जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। स्थिति स्पष्ट करते हुए सही सूचना प्रस्ताव में संलग्न करें।	परियोजना में सिविल एवं सोयम भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। प्रस्ताव के प्रपत्र संख्या 1 (प्रतिवेदन) में स्पष्ट कर दिया गया है।
9	प्रपत्र संख्या 8 एवं 9 वैकल्पिक समरेखन तलाशे जाने एवं निरस्त किये जाने का कारणमय तुलनात्मक विवरण प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है। उपरोक्तानुसार प्रपत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में प्रपत्र संख्या 8 एवं 9 वैकल्पिक समरेखन तलाशे जाने एवं निरस्त किये जाने का कारणमय तुलनात्मक विवरण प्रस्ताव में संलग्न कर किया गया है।
10	प्रपत्र संख्या 6 व 7 से सम्बन्धित सूचना प्रस्ताव में अंकित नहीं की गई है।	प्रपत्र संख्या 6 व 7 से सम्बन्धित सूचना प्रस्ताव में अंकित कर दी गई है।
11	प्रस्ताव में संलग्न SOP में दी गई सारणी 4 के अनुसार क्रमबद्ध नहीं किये गये हैं, सभी प्रपत्र SOP में दी गई सारणी 4 के अनुसार क्रमबद्ध करें।	सभी प्रपत्र SOP में दी गई सारणी 4 के अनुसार क्रमबद्ध कर दिये गये है।
12	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र संख्या 12 परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का प्रमाण पत्र SOP में दिए निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर दिए गए हैं।	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र संख्या 12 परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का प्रमाण पत्र SOP में दिए निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर दिया गया है।
13	प्रस्ताव में संलग्न बार चार्ट में आपके द्वारा सिविल एवं सोयम भूमि रिक्त, वनपंचायत भूमि 400 मीटर एवं नाप भूमि 10 मीटर दर्शाया गया है। लेकिन प्रस्ताव में संलग्न प्रतिवेदन में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग के समरेखन में 3600 मीटर लम्बाई व 9 मीटर चौड़ाई में सिविल सोयम भूमि भी प्रभावित हो रही है तथा प्रस्ताव में संलग्न परियोजना की लम्बाई चौड़ाई के प्रमाण पत्र में आपके द्वारा उल्लेख किया गया है कि परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाली नाप भूमि की लम्बाई व चौड़ाई शून्य मीटर है। जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। स्थिति स्पष्ट करते हुए सही सूचना प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र संख्या 12 (परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का प्रमाण पत्र) व प्रपत्र संख्या 13 (बार चार्ट) में वनपंचायत भूमि 400 मीटर एवं नाप भूमि 100 मीटर कर संशोधित कर दिया गया है।
14	प्रपत्र संख्या 15 से 15.6 तक होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार /व्यासवार विवरण एवं मूल्याकंन/ सारांश/वास्वितक रूप से काटे जाने वाले पेड़ से सम्बन्धित प्रपत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किये गये हैं। उपरोक्तान सभी प्रपत्र SOP में दी गई सारणी 4 के अनुसार निर्धारित प्रारूप प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रपत्र संख्या 15 से 15.6 तक होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार /व्यासवार विवरण एवं मूल्याकंन/ सारांश/वास्वितक रूप से काटे जाने वाले पेड़ से सम्बन्धित प्रपत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिए गए हैं।
15	प्रपत्र संख्या 17 व प्रपत्र संख्या 17.1 न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र व वृक्ष प्रभावित न हो सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है। उपरोक्तानुसार प्रपत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रपत्र संख्या 17 व प्रपत्र संख्या 17.1 न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र व वृक्ष प्रभावित न हो सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिए गए हैं।
16	SOP में दी गई सारणी 4 के अनुसार प्रपत्र संख्या 18 और 19 प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है। उपरोक्तानुसार प्रपत्र SOP में दी गई सारणी 4 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव में संलग्न करें।	SOP में दी गई सारणी 4 के अनुसार प्रपत्र संख्या 18 और 19 प्रस्ताव में संलग्न कर दिए गए है।
17	चूँकी प्रस्तावित मार्ग से पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व नैनादेवी कंजर्वेशन रिजर्व की निकटतम सीमा से हवाई दूरी क्रमशः 4.4 किमी० व 7.1 किमी० है। जिस कारण प्रस्ताव में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है। उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्ताव में	प्रस्ताव में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड देहरादून का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।

	संलग्न करें।	
15	प्रस्ताव में आपके द्वारा दुगुने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का जमा कराये जाने सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न किया गया है। जबकि प्रकरण में आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 1.00 हे0 से कम होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण लागू नहीं होता है। उक्त के साथ पर सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण का प्राक्कलन सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा तैयार कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्राक्कलन संलग्न है।

21.3.24

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रामनगर (नैनीताल)

	संलग्न करें।	
16	प्रस्ताव में आपके द्वारा दुगुने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का जमा कराये जाने सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न किया गया है। जबकि प्रकरण में आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 1.00 हे0 से कम होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण लागू नहीं होता है। उक्त के साथ पर सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण का प्राक्कलन सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा तैयार कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्राक्कलन संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रामनगर (नैनीताल)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग
रामनगर (नैनीताल)

dfo_ramnagar@[illegible] दूरभाष / फैक्स न0 05947–251362

पत्रांक 466 /12-1   दिनांक 27/08/2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग
रामनगर।

विषय:– जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी के अन्तर्गत कोटाबाग क्षेत्र (बाजारी) पाण्डेगॉव में गोलज्यू मन्दिर तक 0.500 कि0मी0 सी0 सी0 मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 0.360 है0 वन पंचायत भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग का प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:– आपका पत्र 1325/23सी दिनांक 01.08.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगतनीय है कि आपके द्वारा उपरोक्त उल्लिखित प्रस्ताव की हार्ड प्रतियाँ वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। उक्त प्रस्ताव का अवलोकन करने पर प्रस्ताव में निम्नलिखित आपत्तियाँ दृष्टिगत हो रही है, जिनका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में दृष्टिगत कमियाँ निम्नलिखित है:–

01. प्रस्ताव में विषय सूची संलग्न किया जाना अपेक्षित है।
02. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों में प्रपत्र संख्या एवं पृष्ठ संख्या अंकित नहीं की गयी है, प्रस्ताव में प्रपत्र संख्या एवं पृष्ठ संख्या विषय सूची एवं SOP की सारणी–4 के अनुसार अंकित करें।
03. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 1 में भूवैज्ञानिक आख्या की पृष्ठ संख्या एवं प्रभावित वृक्षों की संख्या अंकित नहीं की गयी है। उपरोक्तानुसार संख्या प्रपत्र में अंकित करें।
04. प्रस्ताव में संलग्न भाग 1 कि बिन्दु सं0 4 में आपके द्वारा आरक्षित वन भूमि अंकित किया गया है। जबकि परियोजना वन पंचायत भूमि पर प्रस्तावित है। सही सूचना अंकित करें। साथ ही प्रपत्र में दिनांक भी अंकित करें।
05. प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र भाग–2 में सूचना आपके द्वारा पूर्व से ही भरा हुआ प्रस्तुत किया गया है, जबकि उक्त प्रपत्र खाली रखा जाना अपेक्षित है।
06. टोपोशीट मानचित्र पर प्रस्तावित परियोजना को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाये तथा परियोजना के मानचित्र उच्च गुणवत्ता वाले पेपर पर ही प्रिंट कर संलग्न किये जायें।
07. प्रस्ताव में संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र) के अनुसार संयुक्त निरीक्षण दिनांक 16.08.2018 को सम्पन्न किया गया है, जबकि प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र 2981/12–1 दिनांक 16.05.2024 एवं 3108/12–1 दिनांक 29.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में लम्बी अवधि व्यतीत होने एवं क्षेत्रविशेष की वस्तुस्थिति में परिवर्तन होने के कारण पुनः संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उपरोक्तानुसार संशोधित संयुक्त स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न करें।
08. प्रस्ताव में संलग्न सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैण्ड शैडयूल में आपके द्वारा सिविल सोयम भूमि रिक्त दर्ज की गयी है। जबकि प्रस्ताव में संलग्न प्रतिवेदन में आपके द्वारा अवगत कराया गया है की मार्ग के संरेखण में 3600 मी0 लम्बाई एवं 9.00 मी0 चौड़ाई में सिविल सोयम भूमि भी प्रभावित हो रही है। जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। स्थिति स्पष्ट करते हुये सही सूचना प्रस्ताव में सलग्न करें।
09. प्रपत्र संख्या 8 एवं 9 वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण मय तुलनात्मक विवरण प्रस्ताव में संलग्न नही किया गया है। उपरोक्तानुसार प्रपत्र प्रस्ताव में सलग्न करें।
10. प्रपत्र संख्या 6 व 7 से सम्बन्धित सूचना प्रस्ताव में अंकित नहीं की गयी है। सूचना अंकित करें।
11. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र SOP में दी गयी सारणी–4 के अनुसार क्रमबद्ध नही किये गये है, सभी प्रपत्र SOP में दी गयी सारणी–4 के अनुसार क्रमबद्ध करें।
12. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र संख्या 12 परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का प्रमाण पत्र SOP में दिये गये निर्धारित प्रारूप में संलग्न करें।

प्रस्ताव मे संलग्न बारचार्ट मे आपके द्वारा सिविल एवं सोयम भूमि रिक्त, वन पंचायत भूमि 400 मीटर एवं नाप भूमि 10 मीटर दर्शाया गया है, जबकि प्रस्ताव में संलग्न प्रतिवेदन में आपके द्वारा अवगत कराया गया है की मार्ग के सरेखण मे 3600 मी0 लम्बाई एवं 9.00 मी0 चौडाई मे सिविल सोयम भूमि भी प्रभावित हो रही है तथा प्रस्ताव मे संलग्न परियोजना की लम्बाई–चौडाई का प्रमाण पत्र मे आपके द्वारा उल्लेख किया गया है की परियोजना के निर्माण मे प्रभावित होने वाली नाप भूमि की लम्बाई व चौडाई शून्य मीटर है। जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। स्थिति स्पष्ट करते हुये सही सूचना प्रस्ताव मे संलग्न करें।

14. प्रपत्र संख्या 15 से 15.6 तक प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/व्यासवार विवरण एवं मूल्यॉकन/सारांश/ वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड से सम्बन्धित प्रपत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किये गये है। उपरोक्तानसभी प्रपत्र SOP मे दी गयी सारणी–4 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव मे संलग्न करें।

15 प्रपत्र संख्या 17 व 17.1 न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र तथा वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रपत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है। उपरोक्तानुसार प्रपत्र प्रस्ताव मे संलग्न करें।

16. SOP मे दी गयी सारणी–4 के अनुसार प्रपत्र संख्या 18 व 19 प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है। उपरोक्तानुसार प्रपत्र SOP मे दी गयी सारणी–4 के अनुसार निर्धारित प्रारूप मे प्रस्ताव मे संलग्न करे।

17. चूंकि प्रस्तावित मार्ग से पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व व नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व की निकटतम सीमा से हवाई दूरी क्रमशः 4.4 किमी0, 7.1 किमी0 है , जिस कारण प्रस्ताव मे मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है। उपरोक्तानुसार प्रमाण–पत्र प्रस्ताव मे संलग्न करे।

18. प्रस्ताव मे आपके द्वारा दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का जमा कराये जाने सम्बन्धित प्रमाण–पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न किया गया है। जबकि प्रकरण मे आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 1.00 है0 से कम होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण लागू नहीं होता है। उक्त के साथ पर सडक के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण का प्राक्कलन सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा तैयार करा कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, एवं प्रस्ताव में इंगित कमियो का पूर्ण निराकरण करने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं कमियों के पूर्णतः निराकरण के पश्चात पूर्ण प्रस्ताव 6 हार्ड प्रतियों में मूल प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(दिगांथ नायक)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

अग्रेसित
21/9/2024
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
रामनगर वन प्रभाग,
रामनगर